



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ()/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/ 55

दिनांक : 15.12.2015

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय : आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों का उद्घाटन जनप्रतिधि से करवाने के संबंध में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार 15.12.2015 से 31.03.2016 तक स्वास्थ्य कैम्प लगाये जायेंगे। स्वास्थ्य कैम्पों का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख/विधायक/सांसद) से करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा स्थानीय समाचार पत्र में उक्त समाचार प्रकाशित किया जाना है। इससे स्वास्थ्य कैम्पों में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य कैम्प की मॉनिटरिंग (संलग्न प्रपत्रानुसार) की जानी है एवं कैम्प से संबंधित प्रपत्रानुसार सूचना जिला स्तर पर इकजाई कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। प्रत्येक स्वास्थ्य कैम्प का समय प्रातः 09.30 से 04.30 बजे तक का होगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य कैम्प आयोजन हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 5000/- बजट प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के बजट मद 2210-01-001-(01)-29 में उक्त बजट राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती आदेश क्रमांक 52 दिनांक 10.12.15 स्वीकृत की गई है। चूंकि उक्त बजट ऑब्जेक्ट हेड जिला/ब्लाक स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त राशि डीडी/चैक द्वारा जिलों को भिजवाई जा रही है। स्वीकृत राशि के अतिरिक्त जिलों की ग्राम पंचायतवार शेष राशि माह जनवरी 2016 में जिलों को भिजवाई जायेगी। बजट व्यय केवल स्वास्थ्य कैम्प के आयोजन पर ही नियमानुसार किया जाना है। जिसमें टेन्ट,दरी,टेबल मय कवर,कुर्सी,पानी की टंकी,जग,पानी का टेंकर,स्वास्थ्य कैम्प बैनर आदि सम्मिलित हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वास्थ्य कैम्पों की क्रियान्विति एवं इस बाबत किया जाने वाला व्यय आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त राशि वर्ष 2015-16 में व्यय की जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर तुरन्त भिजवावें।

निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 49 दिनांक 08.12.15 द्वारा स्वास्थ्य कैम्पों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य कैम्पों के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना किया जाना एवं प्रत्येक स्वास्थ्य कैम्प की मॉनिटरिंग संलग्न निर्धारित प्रपत्रानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, आशा द्वारा भरे गये प्रपत्रों के अनुसार गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूची तैयार करेगी तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्वास्थ्य कैम्प अथवा नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य की जाँच करवाने के लिए सूचित करे तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सम्भव ईलाज की पूर्ण जानकारी दी जाये। एएनएम द्वारा तैयार की गई उक्त सूची अपने संबंधित क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी को प्रेषित करेगी तथा संबंधित पीएचसी/पीएचसी पर उक्त सूचना ग्राम पंचायतवार इकजाई कर स्वास्थ्य कैम्प में प्रेषित की जावे। इससे बीमार व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार सम्भावित सूची तैयार हो जायेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आम जनता को यह सूचित करेगी की गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले कैम्प से पूर्व भी अपने नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर आउटडोर में अपने स्वास्थ्य की जाँच करवा लेवे। इससे स्वास्थ्य कैम्पों में आमजनता की भीड़ कम होगी तथा अधिकाधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच संभव हो सकेगी।
- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम अपने क्षेत्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जांच कर सूचना स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों में आवश्यक रूप से भरवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थियों को सही सूचना प्राप्त हो सके तथा अधिकतम लोग योजना का लाभ ले सकें।
- पीएचसी/पीएचसी पर पदस्थापित चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी अधिनस्थ ग्राम पंचायतों में लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों में इस प्रकार लगाई जावे कि चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं हो।

- स्वास्थ्य कैंपों में अथवा पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का डॉक्टर की सलाह के अनुसार हिमोग्लोबिन, आँखों की जाँच (दृष्टि दोष), ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन की जाँच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिक सिस्टम के आधार पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी एवं उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी के अनुसार ईलाज किया जायेगा।
- स्वास्थ्य कैंपों में अथवा पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत डॉक्टर द्वारा पहचान की गई बीमारी के ईलाज के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सक द्वारा रोगी हेल्थ जाँच कार्ड (Patient Health Examination Card) भरकर रेफर किया जायेगा। जिसका सैम्पल संलग्न है। स्वास्थ्य कैंप में चिकित्सक को क्लीनिकल सिस्टम के आधार पर बीमारी का पता नहीं चलने पर चिकित्सक द्वारा उस व्यक्ति को बीमारी की जाँच एवं ईलाज हेतु उच्च राजकीय चिकित्सालयों में रेफर किया जायेगा।
- स्वास्थ्य कैंपों में रेफर किए जाने वाले बीमार व्यक्तियों के लिए रोगी हेल्थ जाँच कार्ड (Patient Health Examination Card) आवश्यकतानुसार जिला स्तर से प्रिन्ट करवाया जाना है।
- प्रत्येक स्वास्थ्य कैंप में संबंधित पीएचसी/सीएचसी की ओपीडी स्लीप काम में ली जायेगी तथा उस स्लीप/रेफर कार्ड पर स्वास्थ्य कैंप ग्राम पंचायत की मोहर लगाई जावे साथ ही ग्राम पंचायतवार ओपीडी रजिस्टर संधारित किया जावे। मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक कैंप में सूचना सहायक/ऑपरेटर/अन्य कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे।
- पीएचसी/सीएचसी क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप के आयोजन हेतु संलग्न चैकलिस्ट प्रपत्रानुसार सूचना प्रेषित करें।

आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उन ग्रामपंचायतों की एण्ट्री प्राथमिकता से की जावे जिनका कैंप पहले है। संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर स्वास्थ्य कैंप में आने वाले व्यक्तियों की चिकित्सक द्वारा क्लीनिकल सिस्टम के आधार पर पहचान की गई बीमारी एवं केन्द्र पर की गई जाँच की एण्ट्री आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में की जानी है। इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन ई-हेल्थ कार्ड जेनेरेट होगा। माह दिसम्बर 2015 से पीएचसी/सीएचसी पर भर्ती मरीजों की बीमारी एवं की गई जाँच की एण्ट्री आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित व्यक्ति का आरोग्य राजस्थान सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन ई-हेल्थ कार्ड जेनेरेट होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. नीरज के. पवन)


अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)

निदेशक (आई. ई. सी.) एवं

संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि. स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
5. निदेशक (जन स्वा.)।
6. निदेशक आरसीएच.।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
9. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ जिला आशा कोर्डिनेटर
10. सर्वर रूम।



अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)

निदेशक (आई. ई. सी.) एवं

संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राजस्थान सरकार
 निदेशालय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

उपकेन्द्रवार शीमार व्यक्तियों की सूची

(हैलथ केम्पो के लिए सूची)

(आशा सडयोनियों द्वारा भरे गये प्रपत्रों में से क्षेत्र के परिवारों में शीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: ब्लॉक: शीरवरी/शीरवरी का नाम: शीमार व्यक्ति की जानकारी: उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:

क्र. सं.	गांव/ठाणी का नाम	शीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर/EID No.	शीमारी का नाम (कोड भरे)	शीमारी के लक्षण (कोड भरे)	प्रपत्र संख्या	सामग्री एनएसए/आरएसबीवाई (NESA/RSBV)	शीमाराइ कार्ड/शीमान कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

एएनएम नाम व इस्ताफर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

ग्राम पंचायतवार बीमार व्यक्तियों की सूची
(दिलख कैंच के लिए सूची)

(संबंधित पीएचसी / सीएचसी द्वारा उपरवास्तव्य केन्दवार परिवारी में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)
जिला: ब्लॉक: पीएचसी / सीएचसी का नाम: बीमार व्यक्ति की जानकारी: ग्राम पंचायत का नाम:

क्र. सं.	गाँव / टापी का नाम	बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर / EID No.	बीमारी का नाम (कोड अर्थ)	बीमारी के लक्षण (कोड अर्थ)	प्रपत्र संख्या	तामबई एनएफएसए/आरएनबीआई (NESA/ndsbv)	नामाशाई कार्ड / पशान कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

चिकित्सा प्रमारी अधिकारी नाम व हस्ताक्षर

4
2/11/15

Government of Rajasthan
Directorate of Medical and Health Services
Patient Health Examination Card
(For use by Doctor in Health Camp for Aurogya Campaign)

District _____ Health Camp Venue _____ Date _____
Name of patient _____ Age (yrs) _____ Gender Male / Female / Other
Bhamushah Card ID _____ Aadhaar No. _____ Insurance Status Insured / Not Insured
RSBY Card No. _____

Diagnosis in Health Camp:

Present History: _____ Past History: _____
Personal History: _____ Family History: _____
Immunization History: _____ Common Allergy History: _____
In case of women:
Menstrual History: _____ Common Drug Allergy _____
Obstetric History _____

Clinical Examination:

Pulse Rate
Resp. Rate
Temp (°C)
Height (cm)
Weight (kg)
BP



Treatment advised:

Observations on clinical examination

Investigations
Hb
Blood Sugar
Blood Group
others

Further investigations required at higher Health Institute? Yes / No
Hospitalized treatment required? Yes / No
If yes, Disease / Health condition covered under State Health Insurance Scheme? Yes / No
Referred to hospital for hospitalized treatment/intervention for rehabilitation Yes / No
(Caliper, Tricycle, hearing aids, spectacles)
If yes, name of Referral Hospital _____

Place: _____
Date: _____

Signature: _____
Name & designation of Doctor: _____

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कैम्प मॉनिटरिंग

ग्राम पंचायत का नाम..... उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या..... सीएचसी/पीएचसी का नाम..... ब्लाक..... जिला.....

ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या	कैम्प में कुल पंजीकरण	ओपीडी के अन्तर्गत इलाज किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाँच किये गये व्यक्तियों की संख्या										उच्च चिकित्सा संस्थानों हेतु रेफर किये गये व्यक्तियों की संख्या		ग्राम पंचायत में कुल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों की संख्या	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBV) के लाभार्थियों की संख्या	एनेमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या	एनेमिक अन्य महिलाओं की संख्या	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या		
			Hb	Eye	BP	Weight	Height	राजकीय अस्पताल	निजी अस्पताल	M	F	M	F								
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F							

दिनांक स्वास्थ्य कैम्प चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान
पीएचसी/सीएचसी क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप के आयोजन हेतु चैकलिस्ट

जिला: ब्लॉक: पीएचसी/सीएचसी का नाम:
ग्राम पंचायत का नाम: उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:

i. कैंप का स्थान:

ii. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता (संख्या लिखें):

- चिकित्सा अधिकारी:
- पैरामेडिकल स्टाफ- जीएनएम:
- पैरामेडिकल स्टाफ- एलएचवी:
- पैरामेडिकल स्टाफ- लेब टेक्नीशियन:
- पैरामेडिकल स्टाफ-एएनएम:

iii. शिविर व्यवस्था (संख्या लिखें):

- टैण्ट: हॉ/नहीं
- टेबल मय कवर:
- कुर्सियाँ:
- पानी की टंकी:
- पंखे:
- पानी का टैंकर:
- बैनर:
- अन्य:

iv. बीमार व्यक्तियों की सूची: हॉ/नहीं

v. उपकरण:

- | | | |
|---------------------|----------|------------|
| • Stethoscope: | Yes / No | No.: _____ |
| • BP Instrument: | Yes / No | No.: _____ |
| • Weighing Machine: | Yes / No | No.: _____ |
| • Inch Tape: | Yes / No | No.: _____ |
| • Thermometer: | Yes / No | No.: _____ |
| • Hemoglobinometer: | Yes / No | No.: _____ |
| • Eye test | Yes / No | No.: _____ |

vi. अन्य सामग्री:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| • Slides: | Availability: Yes / No | Adequate: Yes / No |
| • Blood Grouping Reagents: | Availability: Yes / No | Adequate: Yes / No |
| • N/10 HCl (for Hb estimation): | Availability: Yes / No | Adequate: Yes / No |
| • Needles: | Availability: Yes / No | Adequate: Yes / No |

दिनांक: चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर: